ध्वनि प्रदूषण

(विनियमन और नियंत्रण)

नियम, 2000

(यथा संशोधित)

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000

(यथा संशोधित)

4942ERF/10-1

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000

पर्यावरण और वन मंत्रालय
अधिसूचना

[1]का.आ. 123 (अ).- विभिन्न स्त्रोतों से लगे स्थानों में परिवेशी ध्वनि स्तरों की वृद्धि पर अन्य बातों के साथ-साथ, औद्योगिक कार्यकलाप, सान्निमार्ण कार्यकलाप, [2][पटाखे, ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण,] जनरेटर सेट, लाउड स्पीकर, लोक संबोधन प्रणाली, संगीत प्रणाली, यानीय हार्न और अन्य यांत्रिक युक्तियों का मानव स्वास्थ्य पर हानिकार प्रभाव पड़ता है और मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है; अत: ध्वनि के संबंध में परिवंशी वायु क्वालिटी मानकों के अनुरक्षण के उद्देश्य से ध्वनि उत्पादक और जनक स्त्रोतों को विनियमित और नियंत्रित करना आवश्यक समझा गया है;

ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण और विनियमन) नियम, 1999 का प्रारूप भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 528(अ), तारीख 28 जून, 1999 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्रित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आमंत्रित किए गए थें;

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 1 जुलाई, 1999 को उपलब्ध करा दी गई थी;

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ii), धारा 6 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ख) तथा धारा 25 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्वनि उत्पादक और जनक स्रोतों के विनियमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 है। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

1.भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II-खण्ड 3-उप खण्ड -(ii) में का.आ. 123 (अ), दिनांक 14.2.2000 को प्रकाशित ।
2. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 2 द्वारा अत: स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50 (अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित ।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "क्षेत्र /परिक्षेत्र" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची में दिए गए चार प्रवर्गों में से किसी के अतंर्गत आने वाले सभी क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

[1][(ग) "प्राधिकारी" से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रवृत विधियों के अनुसार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी या अधिकारी सम्मिलित हैं इसके अन्तर्गत तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानकों के अनुरक्षण के लिए अभिहित जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या ऐसा कोई अन्य अधिकारी भी हैं जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो,];

[2][(घ) "न्यायालय" से ऐसा सरकारी निकाय अभिप्रेत है जो एक या अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बना है और वे विवादों के न्याय निर्णयन और न्याय करने के लिए बैठते हैं तथा इसके अन्तर्गत ऐसा कोई न्यायालय भी है जो न्यायाधीशों या मजिस्र्टेट द्वारा पीठासीन है और सिविल कराधान तथा आपराधिक मामले के अधिकरण के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ड.) "शैक्षणिक संस्था" से कोई स्कूल, सेमिनरी, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, वृतिक अकादमी, प्रशिक्षण संस्थान या अन्य शैक्षणिक स्थापन, जो आवश्यक रूप से चार्टड संस्था नहीं है, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत न केवल भवन सम्मिलित हैं बल्कि इसमें ऐसे सभी स्थल भी हैं जो शैक्षिकण अनुदेश की पूर्ण व्याप्ति को प्राप्त करने के लिए हैं जो मानसिक, नैतिक और भौतिक विकास के लिए आवश्यक हैं;

(च) "अस्पताल" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो बीमार, घायल, शिथिलांग या वयोवृद्ध व्यक्तियों को भर्ती करने और उनकी देख-रेख करने के लिए है और इसके अन्तर्गत सरकारी या प्राइवेट अस्पताल, परिचर्या गृह तथा क्लिनिक सम्मिलित हैं;]

[3][(छ) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या व्यष्टियों का कोई संगम या निकाय सम्मिलित है चाहे यह निगमित हो या नही;]

1. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2000 के नियम 2(ii) द्वारा प्रतिस्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 1046 (अ), दिनांक 22.11.2000 को अधिसूचित ।
2. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2000 के नियम 2 (iii) द्वारा अत: स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 1046 (अ), दिनांक 22.11.2000 को अधिसूचित ।
3. ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2000 के नियम 2 (ii) द्वारा पुनर्संख्याकित एवं प्रतिस्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 1046 (अ), दिनांक 22.11.2000 को अधिसूचित ।

[1][(ज) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;]

[2][(झ) "सार्वजनिक स्थल" से ऐसे स्थान अभिप्रेत है जिसमें जनता की पंहुच है चाहे उसका अधिकार हो या न हो, और जिनके अन्तर्गत ऑडीटोरियम, होटल, जन प्रतीक्षालय, सभा केन्द्र, लोक कार्यालय, शॉपिग मॉल, सिनेमा हाल, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, खुले मैदान और इसी प्रकार के स्थान जिनमे आम जनता जाती है; और

(ञ) "रात्रि समय" से 10.00 बजे रात्रि और 6.00 बजे प्रात: के बीच की अवधि अभिप्रेत है ।]

3. विभिन्न क्षेत्रों/परिक्षेत्रों के लिए ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक

(1) विभिन्न क्षेत्रों/परिक्षेत्रों के लिए ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) राज्य सरकार, विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि मानकों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या शांत क्षेत्रों/परिक्षेत्रों में क्षेत्रों को [3][प्रवर्गीकृत करेगी ।]

(3) राज्य सरकार ध्वनि के उपशमन के लिए उपाय करेगी जिसमें यानीय संचलन से प्रसर्जित ध्वनि, [4][हार्न बजाना, आवाज करने वाले पटाखें फोड़ना, लाउड स्पीकरों या लोक संबोधन प्रणाली और ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों का उपयोग] सम्मिलित है और यह सुनिश्चित करेगी कि विद्यमान ध्वनि स्तर इन नियमों के अतंर्गत विनिर्दिष्ट परिवेशी वायु क्वालिटी मानक से अधिक न हो ।

(4) सभी विकास प्राधिकारी, स्थानीय निकाय और अन्य संबद्ध प्राधिकारी, शहरी और ग्रामीण योजना से संबंधित विकास क्रियाकलाप का आयोजन करते समय या उससे संबंधित कृत्यों का पालन करते समय ध्वनि संकट से बचाव के लिए और ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानकों के अनुरक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जीवन की क्वालिटी के प्राचल के रूप में ध्वनि प्रदूषण के सभी पक्षों पर विचार करेंगे ।

अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं और न्यायालयों के आसपास कम-से-कम 100 मीटर के क्षेत्र को इन नियमों के प्रयोजन के लिए शांत क्षेत्र/परिक्षेत्र घोषित किया जाएगा ।

---

1. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2000 के नियम (ii) द्वारा पुनर्संख्यांथित एवं प्रतिस्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 1046 (अ), दिनांक 22.11.2000 को अधिसूचित ।
2. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 3 द्वारा अत: स्थापित तथा राजपत्र मे का. आ. 50(अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित ।
3. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2000 के नियम 3 द्वारा प्रतिस्थापित तथा राजपत्र मे का. आ. 1046(अ), दिनांक 22.11.2000 को अधिसूचित ।
4. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 4 द्वारा अंत: स्थापित तथा राजपत्र मे का.आ. 50 (अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित ।

4. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रवृत करने का दायित्व

(1) किसी क्षेत्र/परिक्षेत्र में ध्वनि स्तर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट ध्वनि से संबंधित परिवंशी वायु क्वालिटी मानक से अधिक नहीं होगा ।

(2) प्राधिकरण, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों के पवर्तन और ध्वनि से संबंधित परिवेशी वायु क्वालिटी मानकों के सम्यक् पालन के लिए उत्तरदायी होगा ।

[1][(3)] संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियां, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से, ध्वनि प्रदूषण और खोजे गए उपायों से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकी आंकडों को, इसके प्रभावी निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए, संग्रहीत, संकलित और प्रकाशित करेंगे ।]

5. लाउड स्पीकर और लोक संबोधन प्रणाली [2][और ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण] के प्रयोग पर निर्बन्धन

(1) लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब प्राधिकरण से लिखित अनुज्ञा अभिप्राप्त की गई हो ।

[3][(2) लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली या कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाला उपकरण या वाद्य उपकरण या ध्वनि प्रवर्धन का प्रयोग, हाल के भीतर सिवाय तब के जब वह संसूचना के लिए बंद परिसर जैसे, प्रेक्षागृह, सम्मेलन कक्ष, सामुदायिक हाल, प्रीतिभोज हाल हो या सार्वजनिक आपातस्थिति के दौरान, रात्रि में नहीं किया जाऐगा ।]

[4][(3) उपनियम (2) में अतंर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, जो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक हैं, किसी सांस्कृतिक या धार्मिक पर्व के अवसर पर या उसके दौरान लाउड स्पीकरों या [5][रात्रि के दौरान लोक शब्द संबोधन प्रणाली और इसके समान का प्रयोग रात में (10-00 बजे रात्रि से 12-00 बजे मध्य रात्रि तक) सीमित अवधि के लिए, जो किसी कलेण्डर वर्ष के दौरान कुल मिलाकर पन्द्रह दिन से अधिक की नहीं होगी, अनुज्ञात कर सकेगी ।] [6][संबंधित राज्य सरकार साधारणतया पहले से दिनों की संख्या और विवरणों का अग्रिम शब्द रुप से उल्लेख करेंगे जब ऐसी छूट प्रभावी होगी ।]

---

1. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2006 के नियम 2 (i) द्वारा अंत:स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 1569 (अ), दिनांक 19.9.2006 को अधिसूचित ।
2. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 5 (क) द्वारा अंत:स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50 (अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित ।
3. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, के नियम 5 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50 (अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित ।
4. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम,2002 के नियम 2 द्वारा अतं: स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 1088 (अ), दिनांक 11.10.2002 को अधिसूचित ।
5. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 5 (ग) (क) द्वारा प्रतिस्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50 (अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित ।
6. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 5 (ग) (ख) द्वारा अंत: स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50 (अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित

[1][(4) सार्वजनिक स्थान, जहॉ लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली या ध्वनि का कोई अन्य स्रोत उपयोग में लाया जा रहा है, की चारदीवारी में ध्वनि स्तर, क्षेत्र के लिए परिवेशी ध्वनि स्तर 10 dB(A) या 75 dB(A) जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा ।

(5) किसी निजी स्वामित्व की ध्वनि प्रणाली या ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का परिधीय ध्वनि स्तर, निजी स्थान की चारदीवीर में, उस क्षेत्र जहां यह उपयोग में लाया जा रहा है, के लिए परिवेशी ध्वनि मानक के 5 dB (A) से अधिक न होगा ।]

[2][5 क. भोपू (हार्न) के उपयोग, ध्वनि उत्सर्जित करने वाली संनिमार्ण मशीनें और पटाखे फोडने पर प्रतिबंध.-

(1) भोपू (हार्न) का उपयोग शांत परिक्षेत्रों या रात्रि समय मे आवासीय क्षेत्रों में सार्वजनिक आपात के सिवाय नही किया जाएगा ।

(2) ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखें परिक्षेत्र या रात्रि समय में नहीं फोडे जाऐंगे ।

(3) रात्रि में ध्वनि उत्सर्जित करने वाली संनिमार्ण मशीनें शांत परिक्षेत्रों और आवासीय क्षेत्रों में उपयोग में नहीं लाई जायेंगी या चलाई नहीं जायेंगी ।]

6. शांत परिक्षेत्र/क्षेत्र में किसी उल्लंघन के परिणाम

जो कोई व्यक्ति शांत परिक्षेत्र/क्षेत्र के अतंर्गत आने वाले किसी स्थान में निम्नलिखित कोई अपराध करता है, वह उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा :-

(i) जो कोई किसी प्रकार का संगीत गाता/बजाता है या कोई ध्वनि प्रवर्धक प्रयोग करता है; या

(ii) जो कोई ढोल/टॉम टॉम पीटता है या हार्न बजाता है चाहे वह संगीतमय हो या दबाने वाला या तुरही बजाता है या किसी यंत्र को पीटता है या बजाता है; या

(iii) जो कोई भीड़ आकर्षित करने के लिए कोई अनुकरणशील, संगीतमय या अन्य अभिनय प्रदर्शित करता है; या

[3][(iv) जो कोई, ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे फोड़ता है, या

(iv) जो कोई, लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली का उपयोग करता है ।]

---

1. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 5 (घ) द्वारा अंत: स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50 (अ). दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित ।
2. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 6 द्वारा अंत: स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50 (अ). दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित ।
3. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 7 द्वारा अंत: स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50 (अ). दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित ।

7. प्राधिकरण को की जाने वाली शिकायतें

(1) कोई व्यक्ति, यदि ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि मानक से 10 डीबी(ए) या किसी क्षेत्र/परिक्षेत्र '[या, यदि रात्रि समय के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में इन नियमों के किसी उपबंध का अतिक्रमण है के सामने तत्संबंधी स्तंभ में दिए गए मानक से अधिक बढ़ जाता है]' तो प्राधिकरण को शिकायत कर सकेगा ।

(2) प्राधिकरण, शिकायत पर कार्यवाही करेगा और उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध इन नियमों और प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

8. किसी संगीतमय ध्वनि या ध्वनि के जारी रहने को प्रतिषिद्ध आदि करने की शक्ति

(1) यदि प्राधिकरण का, कियी पुलिस थाने के प्रभावी अधिकारी को रिपोर्ट से या उसके द्वारा प्राप्त किसी अन्य सूचना से [2][जिसमें शिकायतकर्ता से प्राप्त सूचना भी सम्मिलित है,]समाधान हो जाता है कि लोक या किसी व्यक्ति, जो उसके आसपास निवास करता हो या किसी संपति का अधिभोग करता हो, क्षोभ, विघ्न, असुविधा या क्षति या क्षोभ, विध्न, असुविधा या क्षति के जोखिम को निवारित करने के लिए आवश्यक समझता है तो वह लिखित आदेश द्वारा निम्नलिखित के निवारण, प्रतिषेध, नियंत्रण या विनियमन के लिए किसी व्यक्ति को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे :-

(क) किन्हीं परिसरों में निम्नलिखित के घटने या जारी रहने पर -

(i) किसी कंठ संगीत या वाद्य संगीत;

(ii) किसी यंत्र जिसमें लाउड स्पीकर, [3][लोक संबोधन प्रणाली, हार्न, उपकरण या उपस्कर]साधित्र या यंत्र या प्रयुक्ति जो ध्वनि उत्पादित या पुनरुत्पादित करने के योग्य है के किसी भी रीति से बजाने, पीटने, टकराने , पीटने, टकराने, धमन या प्रयोग द्वारा कारित ध्वनियां, या

[4][(iii) ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे फोड़ने से कारित ध्वनि, या]

(ख) किन्हीं परिसरों में या पर किसी व्यापार, उप-व्यवसाय या संक्रिया या प्रक्रिया का करना जिसके परिणामस्वरूप या जिसके करने से ध्वनि हो ।

---

1. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 8 द्वारा अंत:स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50 (अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित ।
2. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2006 के नियम 2(ii) (क) द्वारा अंत: स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 1569 (अ), दिनांक 19.09.2006 को अधिसूचित ।
3. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के नियम 9 (i) द्वारा अंत: स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50 (अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित ।
4. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम,2010 के नियम 9 (ii) द्वारा अंत: स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 50 (अ), दिनांक 11.01.2010 को अधिसूचित ।

(2) उपनियम (1) के अधीन सशक्त किया गया प्राधिकरण या तो स्वयं अपनी प्रेरणा से उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा व्यथित किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आदेश में या तो विखंड़ित, उपांतरित या परिवर्तित कर सकता है :

परन्तु ऐसे किसी आवेदन का निपटान करने से पूर्व, उक्त प्राधिकरण [1][यथास्थिति, आवेदक और मूल शिकायतकर्ता को] वयक्तिगत रूप से या उसका प्रतिनिधित्व करने वाले वयक्ति द्वारा अपने समक्ष हाजिर होने और उक्त आदेश के विरूद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर देगा तथा यदि वह ऐसे किसी आवेदन को पूर्णतया या भागरूप रद्द करता है तो ऐसे रद्द किए जाने के लिए कारण अभिलिखित करेगा ।

---

1. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2006 के नियम 2(ii) (ख) द्वारा अंत: स्थापित तथा राजपत्र में का.आ. 1569 (अ), दिनांक 19.09.2006 को अधिसूचित ।

अनुसूची

[नियम 3 (1) और 4(1) देखिए]

ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक

क्षेत्र का कोड	क्षेत्र/परिक्षेत्र का प्रवर्ग	डी बी(ए) लैक में सीमा*	
		दिन का समय	रात का समय
(क)	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
(ख)	वाणिज्य क्षेत्र	65	55
(ग)	आवासीय क्षेत्र	55	45
(घ)	शांत परिक्षेत्र	50	40

टिप्पण :- 1. दिन के समय से 6.00 बजे पूर्वा से 10.00 अप. तक अभिप्रेत है ।

2. रात्रि समय से 10 बजे अप. से 6.00 बजे पूर्वा. तक अभिप्रेत है ।

[1][3. शांत परिक्षेत्र वह क्षेत्र है जो अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों, धार्मिक स्थानों या ऐसे अन्य क्षेत्र जिसे समक्ष प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है, के आस-पास कम-से-कम 100 मीटर में समाविष्ट है ।]

4. मिश्रित प्रवर्गों के क्षेत्र समक्ष प्राधिकारी द्वारा ऊपर वर्णित चार प्रवर्गों में से एक घोषित किए जा सकते हैं ।

* डीबी(ए) लैक द्योतक है मानवीय श्रवण से संबंधित मापक 'ए' पर डेसीबल में ध्वनि का समय भारित औसत स्तर ।

"डेसीबल" वह एकक है जिसमें ध्वनि मापी जाती है ।

डीबी(ए) लैक में "ए" द्योतक है ध्वनि के माप में आवृति भार और मानवीय कान की आवृति उत्तर लक्षणों के समरूप है ।

लैक : यह विनिर्दिष्ट अवधि में ध्वनि स्तर का ऊर्जा माध्य है ।

---

1. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन आर नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2000 के नियम 4 द्वारा प्रतिस्थापित तथा राजपत्र में का. आ. 1046(अ), दिनांक 22.11.2000 को अधिसूचित ।

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्याक का.आ. 123(अ), तारीख 14 फरवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित किए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. 1046(अ), तारीख 22 नवम्बर, 2000, का.आ. 1088(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2002 का.आ. 1569(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2006 और का.आ. 50(अ), तारीख 11 जनवरी, 2010 द्वारा किया गए ।